

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 84/19

तारीख दायर 22-5-19

प्रेषिति :-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 84/19 / 2019 पत्थरगढ़ी बाबत।

रामदयाल पिता नाथू जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. शांतिलाल पिता होसिया जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कालु पिता सीताराम जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. छीतर पिता डाणी जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. कमलेश पिता भवानीलाल जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम चिताबड़ा पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 10 पर अंकित आराजी संख्या 192 रकबा 1-14 बीघा, आराजी संख्या 193 रकबा 1-13 बीघा, आराजी संख्या 194 रकबा 1-06 बीघा, आराजी संख्या 197 रकबा 0-13 बीघा, आराजी संख्या 208 रकबा 2-16 बीघा कुल कित्ता 5 रकबा 8-02 बीघा भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटियाँ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

9 का पत्थरगढ़ी 31.05.19 जस ह लेट

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा